भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 825

24, जुलाई 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी अवसंरचना पर अमृत योजना का प्रभाव

825. डॉ. नामदेव किरसानः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जल आपूर्ति, सीवरेज और हरित क्षेत्रों जैसे शहरी अवसंरचना में सुधार पर अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) इसके अंतर्गत देश में महाराष्ट्र सहित राज्यवार लाभान्वित शहरी परिवारों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त मिशन के अंतर्गत अवसंरचना के विकास में कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(घ) उक्त मिशन के अंतर्गत कितने शहरी परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं;

(ङ) अमृत के अंतर्गत देश भर के शहरी क्षेत्रों में सीवरेज नेटवर्क में क्या सुधार किए गए हैं;

(च) अमृत शहरों में जल संसाधनों के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं या किए जा रहे हैं;

(छ) उक्त मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं की प्रगति पर नज़र रखने के लिए क्या निगरानी तंत्र मौजूद हैं;

(ज) मिशन के किसी हालिया मूल्यांकन के निष्कर्ष, यदि कोई हों; और

(झ) उक्त मिशन के कार्यान्वयन में देरी और अक्षमताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (च): 25 जून 2015 को देश भर के चयनित 500 शहरों (15 विलयित शहरों सहित 485 शहर) और कस्बों में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) शुरू किया गया था। इस मिशन मिशन का उद्देश्य चयनित शहरों और कस्बों में जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, हरित स्थान और पार्क; और गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन के क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा अमृत पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार, अमृत के तहत अनुमोदित 77,640 करोड़ रुपये के योजना आकार की तुलना में 83,483 करोड़ रुपये की 6,010 परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

राज्यों के साथ समन्वय में अमृत मिशन के अंतर्गत, 139 लाख के लक्ष्य की तुलना में 189 लाख जल नल कनेक्शन (नए/मरम्मत) प्रदान किए गए हैं; 145 लाख के लक्ष्य की तुलना में 149 लाख सीवर कनेक्शन (नए/सर्विस्ड) (फेकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन-एफएसएसएम के माध्यम से शामिल किए गए आवासों सहित) प्रदान किए गए हैं; 21,753 किलोमीटर का सीवर नेटवर्क और 73,519 किलोमीटर का जलापूर्ति नेटवर्क निर्मित किया गया है; 4,622 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) सीवरेज उपचार क्षमता (एसटीपी) और 4,933 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) जल शोधन क्षमता (डब्ल्यूटीपी) विकसित की गई है; 1,456 किलोमीटर लंबी नालियों का निर्माण किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 3,759 स्थानों पर जल भराव की समस्याओं को समाप्त किया गया है; 5,092 एकड़ हरित क्षेत्र, 430 किलोमीटर पैदल मार्ग/पथ और 43 किलोमीटर साइकिल ट्रैक विकसित किए गए हैं। अमृत और कन्वर्जेंस के अंतर्गत राज्य-वार उपलब्ध कराए गए नल और सीवर कनेक्शन (महाराष्ट्र सहित) क्रमशः अनुलग्नक I और अनुलग्नक II में दिए गए हैं।

(छ) से (झ) : अब तक, जैसा कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा अमृत पोर्टल पर बताया गया है, अमृत के अंतर्गत 80,103 करोड़ रुपये के कार्य वास्तविक रूप से पूरे किये जा चुके हैं।

अमृत दिशानिर्देशों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएसस) के गठन का प्रावधान है। शहरी विकास और आवास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) राज्य स्तर पर योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण में एसएचपीएसस को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, मिशन दिशानिर्देशों के दायरे में गठित एक शीर्ष समिति समय-समय पर मिशन की समीक्षा और निगरानी करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अमृत के तहत किए गए कार्यों के आकलन और निगरानी के लिए स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियों (आईआरएमए) का प्रावधान है। आईआरएमए रिपोर्टों के संतोषजनक अनुपालन के बाद

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी की जाती है। साथ ही, अमृत के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों के साथ आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस/वेबिनार/कार्यशालाओं/साइट-विजिट आदि के माध्यम से प्रगति की समय-समय पर समीक्षा और निगरानी की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए गए नल कनेक्शनों की प्रगति और परियोजना-वार परिणामों पर नज़र रखने के लिए एक निर्धारित अमृत ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध है । इसके अलावा, नीति आयोग ने जून 2020 में शहरी परिवर्तन क्षेत्र में अमृत सहित केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मूल्यांकन पर एक समीक्षा की थी। इस अध्ययन में कवरेज, सार्वभौमिक डिज़ाइन का समावेश, लैंगिक मुख्यधारा, प्रो-पुअर डिज़ाइन, प्रवासन और लाभार्थी लक्ष्यीकरण जैसे प्रमुख मापदंडों का मूल्यांकन किया गया। इस योजना के तहत प्रदर्शन संतोषजनक बताया गया क्योंकि इसका उद्देश्य गरीबों और वंचितों सहित सभी के जीवन स्तर में सुधार लाना है।

*****

शहरी बुनियादी ढांचे पर अमृत का प्रभाव के संबंध में दिनांक 24.07.2025 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 825 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक- I:

नल कनेक्शन की राज्य-वार प्रगति

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	एसएएपी के अनुसार लक्षित परिवार	अमृत और कन्वर्जेंस के तहत		
			प्रदान किए गए नए नल कनेक्शन	पुनर्वास परियोजनाओं से लाभान्वित एचएच	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,705	7,198	-	7,198
2	आंध्र प्रदेश	7,28,997	3,52,969	67,610	4,20,579
3	अरुणाचल प्रदेश	1,785	4,312	-	4,312
4	असम	1,08,447	72,497	-	72,497
5	बिहार	8,24,823	7,04,788	-	7,04,788
6	चंडीगढ़	24,731	20,000	1,56,434	1,76,434
7	छत्तीसगढ	3,70,151	3,09,871	-	3,09,871
8	दादरा और नगर हवेली	5,895	22,459	-	22,459
	दमन और दीव	7,528	7,000	-	7,000
9	दिल्ली	1,82,196	27,52,255	-	27,52,255
10	गोवा	400	2099	-	2,099
11	गुजरात	1,54,495	6,40,667	14,53,582	20,94,249
12	हरियाणा	2,73,670	3,62,888	-	3,62,888
13	हिमाचल प्रदेश	13,003	17,773	8,903	26,676
14	जम्मू और कश्मीर*	1,07,674	170	77,000	77,170
15	झारखंड	3,61,170	2,99,296	-	2,99,296
16	कर्नाटक	12,89,119	9,20,304	-	9,20,304
17	केरल	1,53,387	1,94,070	4,62,582	6,56,652
18	लद्दाख		1,620	-	1,620
19	लक्षद्वीप	-	-	-	-
20	मध्य प्रदेश	10,09,765	6,07,779	8,32,873	14,40,652

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	एसएएपी के अनुसार लक्षित परिवार	अमृत और कन्वर्जेंस के तहत		
			प्रदान किए गए नए नल कनेक्शन	पुनर्वास परियोजनाओं से लाभान्वित एचएच	कुल
21	महाराष्ट्र	19,83,405	11,73,032	37	11,73,069
22	मणिपुर	33,867	28,947	-	28,947
23	मेघालय	7,170	15,143	-	15,143
24	मिजोरम	12,127	56,535	-	56,535
25	नागालैंड	32,881	4,265	1,250	5,515
26	ओडिशा	2,91,204	5,18,395	-	5,18,395
27	पुदुचेरी	7,607	5,250	-	5,250
28	पंजाब	4,59,365	2,53,589	-	2,53,589
29	राजस्थान	6,66,761	4,45,361	-	4,45,361
30	सिक्किम	4,754	3,300	607	3,907
31	तमिलनाडु	16,15,641	16,06,924	-	16,06,924
32	तेलंगाना	9,01,031	2,57,237	2,96,967	5,54,204
33	त्रिपुरा	20,130	38,620	-	38,620
34	उत्तर प्रदेश	7,02,907	9,29,493	-	9,29,493
35	उत्तराखंड	56,347	79,538	-	79,538
36	पश्चिम बंगाल	14,61,620	16,50,127	11,33,551	27,83,678
	कुल	1,38,76,758	1,43,65,771	44,91,396	1,88,57,167

शहरी बुनियादी ढांचे पर अमृत का प्रभाव के संबंध में दिनांक 24.07.2025 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 825 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक- II :

सीवरेज/सेप्टेज के माध्यम से कवरेज की राज्य-वार प्रगति

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	एसएएपी के अनुसार लक्ष्य	अमृत और कन्वर्जेंस			
			प्रदान किए गए नए सीवर कनेक्शन	सेप्टेज प्रबंधन के अंतर्गत शामिल किए गए परिवारों की संख्या	पुनर्वास परियोजनाओं से लाभान्वित एचएच	सेप्टेज प्रबंधन के अंतर्गत सीवर कनेक्शन और एचएच को कवर किया गया
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13,525			-	-
2	आंध्र प्रदेश	1,30,580	1,01,116	2,98,800	-	3,99,916
3	अरुणाचल प्रदेश	11,898		16,000	-	16,000
4	असम	-			-	-
5	बिहार	1,76,748			-	-
6	चंडीगढ़	-	20,000		1,56,434	1,76,434
7	छत्तीसगढ	6,42,976	43,118	3,22,099	-	3,65,217
8	दादरा और नगर हवेली	-	6,211	19,253	-	25,464
	दमन और दीव	8,856	4,134		-	4,134
9	दिल्ली	1,65,633	21,55,226		-	21,55,226
10	गोवा	3,521	1982		-	1,982
11	गुजरात	23,17,426	5,25,576		25,59,150	30,84,726
12	हरियाणा	2,64,923	3,85,076		-	3,85,076
13	हिमाचल प्रदेश	23,006	25,450	1,760	11,710	38,920
14	जम्मू और कश्मीर*	2,65,802	67,650	2,64,642	-	3,32,292
15	झारखंड	4,58,774	13,000	20,000	-	33,000
16	कर्नाटक	14,34,839	7,08,638		-	7,08,638
17	केरल	2,18,023	3,046	3,73,572	3,358	3,79,976
18	लद्दाख	जम्मू और कश्मीर के साथ		1,620	-	1,620
19	लक्षद्वीप	-			-	-
20	मध्य प्रदेश	8,52,690	4,02,139		-	4,02,139
21	महाराष्ट्र	11,39,054	4,44,936		30	4,44,966
22	मणिपुर	57,764	4,000		-	4,000
23	मेघालय	31,025		31,000	-	31,000
24	मिजोरम	30,317			-	-
25	नागालैंड	32,881		30,520	-	30,520
26	ओडिशा	2,17,489	1,36,401	2,77,776	-	4,14,177
27	पुदुचेरी	68,463	13,650	2,304	-	15,954
28	पंजाब	2,69,064	1,21,218		-	1,21,218
29	राजस्थान	11,28,812	5,97,318	10,180	7,550	6,15,048
30	सिक्किम	9,509	17,400		-	17,400
31	तमिलनाडु	27,04,442	25,20,304		-	25,20,304
32	तेलंगाना	7,24,967	87,570		-	87,570
33	त्रिपुरा	40,260	600		-	600
34	उत्तर प्रदेश	5,37,517	8,89,268	9,73,600	-	18,62,868
35	उत्तराखंड	1,07,059	56,914	18,000	-	74,914
36	पश्चिम बंगाल	4,06,006	1,84,215		-	1,84,215
	कुल	1,44,93,849	95,36,156	26,61,126	27,38,232	1,49,35,514

******